नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – यथा पंजी।

सर्वप्रथम बैठक के प्रारंभिक काल में उपस्थिति की समीक्षा के दौरान विलम्ब से भाग लेने वाले पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी के साथ उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बैठक में निर्धारित समय पर ही भाग लेंगे, अन्यथा विलम्ब उपस्थिति अथवा अकारण/ अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जिला स्तरीय शाखाओं/कार्यालयों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आगामी मासिक बैठकों में अपने कार्यालय से संबंधित लंबित कार्यों संबंधी एजेन्डा तैयार कर अथवा विभागीय महत्वपूर्ण निदेशों/आदेशों/परिपत्रों इत्यादि पत्रों को संकलित कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे ताकि अुनमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारियों से वांछित प्रतिवेदन की मांग हेतु विस्तृत समीक्षा की जा सके। साथ विभागीय पत्रानुसार दिशा–निर्देश देते हुए अनुपालन कराया जा सके।

तत्पश्चात बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासपरक योजनाओं की पूर्व सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक के दौरान प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं महत्वपूर्ण तथा जनोपयोगी विभागीय योजनाओं की प्राथमिकतावार समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिए गए :–

<u>सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, 2011 :–</u>

1. आप अवगत हैं कि SECC, 2011 का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुँचाना है। इस हेतु सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि SECC के समयबद्ध कार्यक्रम की समीक्षा हेतु अनुमंडल स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक सम्पन्न कर निर्णित निर्णय संबंधी कार्यवाही उप विकास आयुक्त, मुंगेर को उपलब्ध कराएँगे। तत्पश्चात् उक्त कार्यों की दैनिक समीक्षा करते हुए यथासमय कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। सहजता हेतु निर्धारित कार्यक्रम की समय सारणी निम्नरूपेण उद्धृत की जा रही है :–
   - प्रारूप प्रकाशन की तिथि :– 17.12.2013
   - दावा/आपत्ति प्राप्त करने की तिथि :– 17.12.2013 से 06.01.2014 तक
   - प्राप्त दावा/आपत्ति का निष्पादन :– 17.12.2013 से 25.01.2014 तक
   - अंतिम सूची का प्रकाशन :– 25.01.2014 से 03.02.2014 तक
2. सर्वेक्षण कार्य समाप्ति के उपरान्त सर्वेक्षित परिवारों की सूची का प्रारूप पंचायत, प्रखंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं वेबसाईट पर प्रकाशित कराया जाए। प्रारूप प्रकाशन स्थल एवं तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य स्थानीय माध्यमों से कराने का निदेश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।
3. उप विकास आयुक्त, मुंगेर अपने अनुश्रवण में यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रपत्र–E के अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के अंदर, अर्थात् दिनांक 27.12.13 के पूर्व लोक संवीक्षा हेतु ग्राम सभा का आयोजन निश्चित रूप से किया जाए, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रखंड–सह–अंचल के नामित नोडल पदाधिकारी/पंचायत स्तरीय पदाधिकारी/पंचायत सेवक/प्रगणक विडियोग्राफर के साथ निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। इस ओर विशेष ध्यानाकृष्ट किया जाए कि उक्त ग्राम सभा में

भी दावा/आपत्ति प्राप्त करते हुए आवेदनों का निष्पादन कराया जाना है। साथ ही एक व्यक्ति द्वारा थोक (Bulk) समूह में दिए जाने वाले दावा/आपत्ति आवेदनों को किसी भी स्तर से स्वीकार नहीं किया जाए।

4. प्रारूप प्रकाशन में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पर नामित/प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष प्राप्त होने वाले विहित प्रपत्र, यथा- **'क'- *सूची में जोड़े गए नाम पर आपत्ति*, 'ख'- *किसी प्रकार की सुधार हेतु दावा/आपत्ति एवं* 'ग'- *सर्वेक्षण के समय अपने सामान्य निवास स्थान पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपत्ति*** संबंधी आवेदनों पर सुनवाई कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राप्त होने वाले दावा/आपत्ति आवेदनों का निष्पादन दिन-प्रतिदिन के आधार पर करते हुए संध्या में निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर को सूचना तंत्र के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँगे।
6. SECC अन्तर्गत उपलब्ध प्रपत्रों/पम्पलेट के वितरण, दावा/आपत्तियों की प्राप्ति इत्यादि कार्यों हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर किसी एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी अपनी देख-रेख में सुनिश्चित करेंगे।
7. सभी चार्ज पदाधिकारी को उपलब्ध कराए गए SECC, 2011 के अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन से संबंधित जानकारी हेतु पम्पलेट एवं प्रयुक्त होने वाले कोडों से संबंधित जानकारी हेतु पम्पलेट का वितरण पंचायत/प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालय भवनों में आमजनों की सहजता हेतु सूचना एवं कोड संबंधी पम्पलेट अवश्य चिपका होना चाहिए।
8. बैठक में उपस्थित श्री संजय कुमार, परियोजना अभियंता, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि SECC, 2011 में सर्वेक्षित परिवारों का Demographic Data संकलित के उपरान्त National Population Register (NPR) के द्वितीय चरण के अन्तर्गत Biometric Data संकलित करना है। विदित हो कि बिहार राज्य NPR-40 के अन्तर्गत आता है। इस हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि ैम्ब्ब के प्रथम चरण में जिन शिक्षकों या प्रगणकों से प्रशिक्षणोपरान्त कार्य लिया गया था, उनकी सूची जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को निश्चितरूपेण उपलब्ध कराएँगे।

<u>बिहार महादलित विकास मिशन :-</u>

9. सरकार के सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित बिहार महादलित विकास मिशन योजनान्तर्गत विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु निम्नलिखित समय-सारणी के अन्तर्गत नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण करने का निदेश दिया गया है :-
   - आवेदन प्राप्त करने की तिथि :- 10.12.13 से 17.12.13 तक
   - स्क्रूटनी की तिथि :- 18.12.13 से 21.12.13 तक
   - औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी :- 22-23.12.2013
   - औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन :- 24.12.13
   - दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि :- 25-26.12.13
   - अंतिम सूची के प्रकाशन की तिथि :- 30.12.2013
   - नियोजन पत्र वितरण की तिथि :- 05.01.2014
10. उपरोक्त निर्धारित समयावधि में अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुश्रवण में विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में रिक्त पड़े विकास मित्रों के नियोजन की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित कराएँगे।

11. इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि विकास मित्रों के संविदा विस्तार हेतु लंबित आवेदनों के निष्पादन की कार्रवाई नियोजन के पूर्व शत-प्रतिशत कर ली जाए।

लोक सेवा का अधिकार अधिनियम :-

12. लोक सूचना अधिकार अधिनियम तहत् विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध दिनांक 12.12.13 तक लंबित आवेदनों की संक्षिप्त विवरणी निम्नलिखित है :-

क्र0	विभाग	लंबित आवेदनों की सं0	समय सीमा के पश्चात् लंबित आवेदनों की सं0
1	अंचल कार्यालय	17130	743
2	प्रखंड कार्यालय (सा0सु0)	5518	3363
3	अनुमंडल कार्यालय	421	18
4	जिला (GAD)	9858	242
5	राजस्व विभाग	1317	165
6	गृह विभाग	692	25
7	परिवहन	1507	448
8	निबंधन	326	226
9	वाणिज्य कर	17	00
10	ग्रामीण विकास	34	21
कुल योग		**36820**	**5251**

13. अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि RTPS अन्तर्गत समय सीमा के पश्चात् लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विभागीय निदेशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रथमतः RTPS अन्तर्गत जिन कर्मियों को दण्ड स्वरूप राशि अधिरोपित की गई है, उसकी वसूली संबंधित कर्मी के वेतन से काटकर की जाए।

14. समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त ज्ञात हुआ कि सामाजिक सुरक्षा के अत्यधिक आवेदन लंबित हैं जिनके निष्पादन का निदेश अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया।

15. अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि RTPS काउण्टर पर किसी भी परिस्थिति में किसी अनाधिकृत व्यक्ति/दलालों के माध्यम से समूह में आवेदन पत्र नहीं लिए जाएँ।

निर्वाचन :-

16. सभी बी0एल0ओ0 की अद्यतन फोटोसहित सूची सत्यापित कर प्रखंड विकास पदाधिकारियों से मांगा गया था, जो अबतक अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि दिनांक 18.12.13 तक उक्त सूची निश्चित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे अपलोड किया जा सके।

17. सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण के उपरान्त व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल अभिश्रव जिला निर्वाचन कार्यालय को दिनांक 18.12.13 तक अवश्य उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

18. **मुंगेर नगर निगम चुनाव, 2013:-** आप अवगत हैं कि नगर निगम, मुंगेर अन्तर्गत वार्ड नं0-24 का चुनाव दिनांक 29.12.13 को निर्धारित है एवं मतदान दिनांक 30.12.13 को कराया जाना है। इस हेतु उप विकास आयुक्त, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर संयुक्त रूप से निर्वाचन हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, इ0वी0एम0 का प्रशिक्षण इत्यादि कार्यो को ससमय पूर्ण कराएँगे।

19. **पंचायत उप-चुनाव, 2013 :-**

मुंगेर जिला के कुल 84 मतदान केन्द्रों पर पंचायत उप-निर्वाचन होना है, जिसके रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :-

ग्राम पंचायत सदस्य :-	09
ग्राम कचहरी पंच :-	09
ग्राम पंचायत मुखियाः-	01
ग्राम कचरहरी सरपंचः-	03
कुल रिक्ति :-	**22**

जिसके लिए संक्षिप्त कार्यक्रम निम्नरूपेण निर्धारित किया गया है :-

- नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि :- 18.12.13 से 26.12.13
- संवीक्षा की तिथि :- 28.12.13
- मतदान की तिथि :- 12.01.2014
- मतगणना की तिथि :- 13.01.2014

20. इस निमित्त संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिला निर्वाचन कार्यालय से पर्याप्त संख्या में प्रपत्र-5 प्राप्त करने के लिए पंचायत से एक-एक कर्मी को भेजेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी भी अपने स्तर से उपरोक्त कार्यो का समय-समय पर अनुश्रवण करते रहेंगे।
21. निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2013 के अन्तर्गत प्रपत्र-6,7,8 एवं 8क की अद्यतन स्थिति, उपलब्ध कराई गई त्रुटिरहित मतदाता सूची, मतदाता सूची में शत-प्रतिशत फोटो आच्छादन, कंट्रोल टेबल से संबंधित सभी मतदान केन्द्रों की आवश्यक विवरणी कार्य यथासमय सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
22. उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रपत्रों/प्रतिवेदनों की अद्यतन जानकारी दैनिक रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारियों से लेते हुए संध्या में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे ताकि दैनिक अनुश्रवण कर कार्य में तेजी लाई जा सके।
23. सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वार्डवार मतदाता सूची के प्रकाशन की सारी तैयारियाँ यथासमय पूर्ण करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।
24. समीक्षा बैठक के दौरान यह अवगत कराया गया कि विभागीय निदेशानुसार दिनांक 16.12.13 से 31.12.13 तक मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना/मुख्यमंत्री पोषाहार योजना/मुख्यमंत्री प्रोत्साहन भत्ता एवं छात्रवृत्ति योजना का लाभ अहर्तित लाभुकों को दिया जाना है। इसी क्रम में इस जिले में उपरोक्त योजनाओं में राशि के वितरण हेतु प्रथम राउण्ड में दिनांक 17.12.13 से 24.12.13 तक रोस्टर के अनुसार प्रखंडान्तर्गत कम-से-कम दो पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रथम राउण्ड में वंचित लाभुकों को आच्छादित कर शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के लिए दूसरे राउण्ड में दिनांक 26.12.13 से 31.12.13 तक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने अनुश्रवण में संबंधित प्रखंड/अंचल स्तरीय पदाधिकारियों, जिसमें बैंकों के समन्वयक, थाना प्रभारी अवश्य हों, के साथ शिविर की सफलता हेतु समीक्षा बैठक कर सभी आवश्यक तैयारियाँ समय पूर्व सुनिश्चित कर लेंगे।
25. इसी शिविर में जिले में उपलब्ध ट्राईसाईकिल का वितरण योग्य विकलांग लाभुकों के बीच करने हेतु सूची तैयार करने का निदेश सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर को दिया।

पंचायती राज :-

26. पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा को निदेश दिया गया कि यदि पंचायत मुख्यालय में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो समीपवर्त्ती पंचायत की जमीन पंचायत कार्यकारिणी समिति से पारित कराकर संसूचित करें ताकि विभाग को भी इस आशय की जानकारी दी जा सके।
27. वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक पंचायतों से संबंधित लंबित डी0सी0 बिल के समायोजन की कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित कराएँगे।
28. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड पार्षद इत्यादि को मानदेय भुगतानोपरान्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायती राज कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
29. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक माह कम-से-कम एक पंचायत का निरीक्षण कर कार्यवाही उपलब्ध कराने का आदेश देने के बावजूद इसका अनुपालन नहीं किया

जाना चिंताजनक एवं कर्त्तव्य शून्यता को दर्शाता है। अतः पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

30. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित CWJC के मामलों का गंभीरतापूर्वक ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल करेंगे।

31. जनशिकायत संबंधी मामलों को प्रमुखता देते हुए आवेदन पत्रों का निष्पादन तीव्र गति से सुनिश्चित करें।

सामाजिक सुरक्षा :–

32. पूर्व सम्पन्न कई बैठकों में निर्दिष्ट निदेश ***"किसी भी परिस्थिति में किन्हीं पंचायत सचिव के पास सामाजिक सुरक्षा मद की कोई राशि समायोजन हेतु लंबित नहीं होना चाहिए।"*** के संबंध में सख्त निदेश दिया गया कि अग्रिम की राशि अबतक लंबित रखने वाले पंचायत सचिवों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए लंबित राशि का अभिश्रव प्राप्त कर समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएँगे तथा अवितरित अवशेष राशि यथाशीघ्र वापस करने की कार्रवाई पूर्ण कराएँ।

33. इसी कड़ी में पूर्व सम्पन्न कई बैठकों में प्रदत्त निदेश के बावजूद अग्रिम के रूप में धरहरा प्रखंड के पंचायत सचिव, श्री सुबक लाल को दी गई पेंशन मद की लगभग 22,00,000/– (बाईस लाख) रू0 की राशि का समायोजन अबतक नहीं कराया जाना प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यकलाप पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर को भी पूर्व सम्पन्न बैठक में निदेश दिए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव अंतिम चेतावनी के साथ निदेश दिया जाता है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई प्रारंभ करें, अन्यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी की अक्षमता के विरूद्ध कठोर कदम उठाना बाध्यता होगी।

34. सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी मदवार एवं घटकवार वितरण पंजी किसी भी परिस्थिति में पंचायत सचिव के पास नहीं होना चाहिए, अन्यथा निरीक्षण के दौरान ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की संभावित वित्तीय अनियमितता में भागीदार मानते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

35. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण कर पंजियों के संधारण, राशि की निकासी एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जाँच कर, पाई गई त्रुटियों का निराकरण करेंगे।

36. सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में जो एकमुश्त राशि अग्रिम के रूप में वितरण हेतु दिया गया है उसके व्ययोपरान्त अभिश्रव संलग्न करते हुए राशि का समायोजन कराया जाए। इस कार्य की समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान करेंगे तथा अनियमितता पाए जाने पर दोषी पंचायत सचिवों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे।

37. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी कबीर अन्त्येष्टि योजना का वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएँगे।

38. प्रखंड–सह–अंचल के नामित पदाधिकारी (Mentor) भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत उपरिलिखित निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।

BRGF, 12वाँ/13वाँ/14वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त निगम

39. बी0आर0जी0एफ0 अन्तर्गत प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई द्वितीय किश्त की राशि के व्ययोपरान्त उपयोगिता प्रमाण भेजने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

40. बी0आर0जी0एफ0 क्षमतावर्द्धन के लिए प्रखंडों को उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण प्रखंड विकास पदाधिकारी यथाशीघ्र उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराएँगे।

41. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर क्रमशः उच्च प्राथमिकता, अन्य विकास एवं असम्बद्ध अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को राशि उपावंटित

की गई है, परन्तु संबंधित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होना खेदजनक है। अतएव प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रवार, यथा-उच्च प्राथमिकता, अन्य विकास एवं असम्बद्ध अनुदान का प्रगति प्रतिवेदन संकलित कर उप विकास आयुक्त, मुंगेर को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

42. इसी प्रकार 12वॉ एवं 13वॉ वित्त आयोग अन्तर्गत आवंटित राशि के व्ययोपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय जिला परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराएँगे।

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना :-

43. कब्रिस्तान घेराबन्दी योजनान्तर्गत व्ययोपरान्त लंबित डी0सी0 विपत्र की स्थिति निम्न है :-

- प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर :- 747983.00/-
- प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज :- 800250.00/-
- प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर :- 733638.00/-
- प्रखड विकास पदाधिकारी, धरहरा :- 1305005.00/-

44. उपरोक्त डी0सी0 बिल के लंबित रहने की समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कनीय अभियंता के नहीं रहने अथवा स्थल की नापी की समस्या होने के कारण डी0सी0 बिल समर्पित नहीं किया जा सका है। यह स्थिति चिंताजनक है कि उपरोक्त तथ्यों की जानकारी ससमय वरीय पदाधिकारियों को नहीं देना प्रखंड विकास पदाधिकारियों के इन योजनाओं में अरूचि को प्रदर्शित करता है, जो क्षम्य नहीं है। अतएव निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुए डी0सी0 बिल समर्पित करें।

45. यह स्थिति काफी दुःखद है कि कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर द्वारा पूर्व सम्पन्न कई बैठकों में तथा कतिपय स्रोतों से मांगे जाने वाले अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा कराए जा रहे कार्यो के प्रगति की समीक्षा नहीं हो पाती है। अतएव कार्यपालक अभियंता इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण कार्यवाही प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा अपनी अक्षमता का अत्यधिक प्रदर्शन किया जा रहा है।

विधायक/पार्षद योजना :-

46. माननीय विधायक/पार्षद योजना से संबंधित सभी लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए अभिलेख बंद करने के पूर्व प्रदत्त निदेश के बावजूद सूचना अप्राप्त रहना खेदजनक है।

47. सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 11267, दिनांक 01.10.2013 द्वारा पूर्व में संचालित माननीय सदस्य विधानसभा/विधान पार्षद की अनुशंसित वैसी योजनाएँ, जो वर्तमान में अधूरी है, जिनपर कार्य शुरू नहीं हुआ है, वैसी योजनाओं का वर्षवार विवरण एवं अनुमानित व्यय संबंधी प्रतिवेदन की मांग के उपरान्त प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कारणपृच्छा की मांग की जाए।

इंदिरा आवास योजना :-

48. दिनांक 18.12.2013 को इंदिरा आवास योजनान्तर्गत विमुक्त द्वितीय किश्त की राशि के भुगतान हेतु निर्धारित शिविर की तैयारी अनुमंडल पदाधिकारी अपनी देख-रेख में सुनिश्चित कराएँगे।

49. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत में लाभुक का अलग खालते हुए लाभुकवार अभिलेख संधारित किए जाएँ।

50.इसके अतिरिक्त अन्य कार्रवाईयाँ पूर्ण करने का निदेश प्र0वि0पदा0 को दिया गया :-

- प्रत्येक माह के अंतिम वृहस्पतिवार को इंदिरा आवास का विशेष शिविर का आयोजन करना।
- द्वितीय किश्त हेतु अवशेष लाभुकों का सत्यापन कर जांचोपरान्त राशि का भुगतान करना।
- 01.04.2004 के पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति के अधूरे/अपूर्ण आवासों की सूची अबतक अप्राप्त जमालपुर एवं खड़गपुर प्र0वि0पदा0 द्वारा उपलब्ध कराया जाना।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0पी0एल0 सूची में नाम जोड़कर चढ़ाए गए आई0डी0 नं0 सहित हस्ताक्षरयुक्त सूची उपलब्ध कराना।
- आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रमान्तर्गत अधूरे/अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराना।
- वास स्थल के तहत् ऐसे इंदिरा आवास लाभुकों की सूची जिन्हें भूमि आवंटित कर इंदिरा आवास का लाभ दिया गया हो।

51.सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह विशेष ध्यान देंगे कि जिन लाभुकों को इस वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास का लाभ दिया जाना है उसके साथ मनरेगा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण की स्वीकृति भी देते हुए अभिलेख खोलकर लाभार्थियों की खाता संख्या सहित सूची कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे ताकि इसकी विधिवत् MIS प्रविष्टि की जा सके।

52.प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण कर भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदित करेंगे कि अर्हताधारी लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। अनुमंडल पदाधिकारी भी अपने स्तर से समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इंदिरा आवासों के पूर्णता की जाँच करेंगे।

आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम :-

53.उक्त योजनान्तर्गत जिले के नक्सल प्रभावित 12 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की योजना है। समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन पंचायतों में पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब उक्त योजनान्तर्गत शामिल 12 पंचायतों में पूर्ण एवं अपूर्ण पंचायत सरकार भवन की स्थिति संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पूर्ण पंचायत सरकार भवनों के हस्तान्तरण की कार्रवाई जल्द-से-जल्द सुनिश्चित कराया जाए।

54.कतिपय स्रोतों से अधोहस्ताक्षरी को यह बारम्बार शिकायत प्राप्त होती रही है कि धरहरा प्रखंडान्तर्गत अमारी पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण में किसी कारणवश विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण निर्माण कार्य अवरूद्ध है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर यह जाँच कर प्रतिवेदित करें कि विवाद उत्पन्न होने की मुख्य बिन्दु क्या है तथा किन व्यक्तियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

55.मुख्य सचिव कोषांग एवं जिला जनता दरबार के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आवेदनों को प्राथमिक कार्य योजना में शामिल करते हुए नियमित रूप से निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी उपरोक्त आवेदनों में निःसहाय, गरीबी, हित, हनन, अनियमितता संबंधी आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक निष्पादन करायेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं करते हुए लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराएँगे।

अन्यान्य :-

1. बैठक के माध्यम से यह सूचना दी गई कि दिनांक 20.12.13 से धान अधिप्राप्ति पैक्स के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें इस बार भारतीय खाद्य निगम की भूमिका को क्षुण्ण किया गया है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी की यह खास जवाबदेही निर्धारित की जाती है कि धान अधिप्राप्ति हेतु विभागीय निदेशानुसार सभी आवश्यक तैयारियाँ ससमय पूर्ण कर ली जाएँ।
2. उपस्थित सभी पदाधिकारियों को इस तथ्य की जानकारी दी गई कि अनु0जाति, अनु0जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत् पीड़ित महिलाओं को तत्क्षण आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के अतिरिक्त घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, सामाजिक हनन, मानव पणन, डायन प्रथा इत्यादि श्रेणी में आने वाली पीड़ित महिलाओं को **अस्तित्व योजना** के तहत् पीड़ित महिलाओं एवं उनके पाँच वर्ष के आश्रित बच्चे को चिकित्सीय, शैक्षणिक, आवासीय एवं पुर्नवास के लिए कोष का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त कार्यो के लिए श्रीमती क्षिप्रा कुमारी, परियोजना प्रबंधक-सह-महिला संरक्षण पदाधिकारी (मो0-9386073630), महिला हेल्पलाईन, मुंगेर कार्यरत् हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उक्त विभागीय पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया कि अनुमंडल एवं प्रखंडों के क्षेत्र में ऐसी पीड़ित महिलाओं के संज्ञान में आने पर तत्क्षण परियोजना प्रबंधक को सूचित करेंगे ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।
3. भवनहीन विद्यालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्रा0स्वा0के0/उप स्वा0केन्द्र/ आंबनबाड़ी केन्द्र/सामुदायिक भवन/मनरेगा भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन इत्यादि हेतु जमीन चिन्हित करने के लिए पंचायत/प्रखंड/अंचल/परियोजना स्तरीय पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठक कर प्रस्ताव तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी दैनिक कार्य योजना में प्राथमिकता आधारित कार्यो में CWJC/MJC/LPA/Cr.WJC/सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त से संबंधित परिवाद पत्रों के निष्पादन को भी शामिल करते हुए शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करेंगे।
5. पूर्व प्रदत्त निदेशों के बावजूद समीक्षा बैठक के दौरान यह ज्ञात होना कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है कि किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायतों में कार्यान्वित विकासपरक योजनाओं तथा कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया है। यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक एवं दुःखद है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अनियमितता में संलिप्तता को भी प्रदर्शित करता है। अतः पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी माह में कम-से-कम एक पंचायत का विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भेजेंगे, अन्यथा की स्थिति में अनुपालन नहीं करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना बाध्यकारी होगा।
6. पूर्व में दिए गए निदेश के बावजूद उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा बैठक में समीक्षा हेतु सभी विभागीय योजनाओं का प्रपत्र तैयार नहीं किया जाना खेदजनक है। उपरोक्त परिस्थिति में उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं निदेशक, डी0आर0डी0ए0,

मुंगेर संयुक्त रूप से विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं का प्रपत्र तैयार कर आगामी बैठक के पूर्व संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए निदेशित करेंगे कि बैठक के तीन दिन पहले विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित कर दें ताकि बैठक में विस्तृत समीक्षा हेतु उपरोक्त प्रतिवेदनों को संकलित कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जा सके।

7. इस कार्यवाही में प्रदत्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन के अतिरिक्त पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेशों का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त, मुंगेर को आगामी बैठक के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

21/12/13

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक.....2579...../दिनांक.....23/12/13.....

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/ उप विकास आयुक्त, मुंगेर/ सिविल सर्जन, मुंगेर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर/ वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर/जिला नजारत शाखा, मुंगेर/जिला आपदा शाखा, मुंगेर/ सामान्य शाखा, मुंगेर/जनशिकायत कोषांग/विधि/सूचना का अधिकार कोषांग/जिला विकास शाखा, मुंगेर/ सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास, पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....2579...../दिनांक.....23/12/13.....

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।